[illegible]ायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
66/2023	20/06/2023	13/07/24

बरजीबाई पुत्री रामचन्द्र जाति नायक ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद,जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

– प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट

आदेश

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का सीमलिया जिला कोटा के वादनी के खाते खाता संख्या नया 222 व पुराना खाता संख्या 209 पर ख.न. 648/803 है0 भूमि दर्ज चला आ रही है। जिसमें वादनी का नाम बृजरानीबाई दर्ज हैं नकल जमाबंदी 2074–2077 संलग्न है।

यह कि वादनी का दर्ज करते समय घर पर बोलते समय बृजरानीबाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम बरजी बाई है तथा समस्त दस्तावेजो में भी वादनी का नाम बरजी बाई है जिससे वादनी को सरकारी योजनाओ में किसान केडिड कार्ड इत्याद्वि आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक् है।

अध्यक्ष सदस्य सदस्य

यह कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड,श्रम कार्ड व बैक डायरी आद्वि बरजीबाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व सुधार के लिए किसान केडिड लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरस्त कराने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादनी का नाम दुरस्त किया जाना आवश्यक् है। वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 3.04.2023 को नाम दुरस्त करवाने के कहने ओर उनके द्वारा मना करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है।

अतःवाद पेश कर निवेदन है कि वादनी का के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी परित की जावे।

ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का सीमलिया जिला कोटा के वादनी के खाते खाता संख्या नया 222 व पुराना खाता संख्या 209 पर ख.न. 648/803 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम बृजरानी बाई के स्थान पर बरजी बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने की आज्ञा पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादनी का नाम नामा सं. 460 दिनांक 19.02.2009 से बृजरानी बाई ही नाम दर्ज हुआ है। नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित्त किया गया है। वादनी द्वारा नामान्तकरण की अपील कर नामान्तकरण को चुनोती नही दी गई है। पटवारी हल्का द्वारा मजमे आम में तैयार की गई रिपोर्ट में वादनी का नाम जमाबंदी मे बृजरानीबाई से बरजीबाई दर्ज कर रेकार्ड दुरस्त करने की सिफारिश की गई है। उक्त पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मे आमजन व सहखातेदारान के हस्ताक्षर भी करवाये गये है।

पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त होने पर वाद की सुनवाई दिनांक 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो,वादपत्र,जवाब सरकार,पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद में अंकित दस्तावेज में आधार कार्ड, पहचान पत्र,जनाधारकार्ड, स्कूल ई श्रम कार्ड इत्याद्वि में वादनी का नाम बरजीबाई दर्ज है।

द्वारा अपने वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत सीमल्या प0स0 सुल्तानपुर द्वार ...रा प्रमाण पत्र की प्रति पत्रावली मे प्रस्तुत की है। पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ...में बृजरानी बाई का सही नाम बरजीबाई बताया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा पंटवार हल्का सीमलिया जिला कोटा के वादनी के खाते खाता संख्या नया 222 व पुराना खाता संख्या 209 पर ख.न. 648/803 की 0.80 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम बृजरानी बाई के स्थान पर बरजीबाई दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी में यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेंगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/07/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा